



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि.ग. / 3338/PBR/15

प्रकरण क्रमांक

/2015 पुनरीक्षण

1. श्रीमती शीलाबाई पत्नी धनरूप चिडार
2. श्री धनरूप पुत्र नन्नूलाल चिडार
3. श्रीमती सान्ता बाई पत्नी मेहरबान चिडार
4. मेहरबान सिंह पुत्र नन्नूलाल चिडार

निवासीगण ग्राम तिल्लीखेडा

तहसील व जिला-गुना

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला-गुना

कलेक्टर जिला-गुना द्वारा स्वयंमेव पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 01/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26-08-2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण अतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

श्री एत.क. वाजपेयी - अधिवक्ता
द्वारा दिनांक 13-10-15 को
प्रस्तुत।
13-10-15
S.O

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3338-पीबीआर/15

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

07-09-2016

आवेदकगण की ओर से श्री एस0के0वाजपेयी अधिवक्ता उप0 एवं अनावेदक अधिवक्ता की ओर से श्री राजीव गौतम उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रकरण में जो सहायता आवेदक द्वारा चाही जा रही है वह कलेक्टर जिला गुना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-4-16 से दे दी गई है, अतः यह निगरानी चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये निगरानी समाप्त की जाये । निवेदन स्वीकार । आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रकरण में विवाद शीलाबाई / शासन के मध्य है, अतः पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र भी अमान्य किया जाता है ।

and

[Signature]
अध्यक्ष